

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा

संख्या-03

बाष्पम (मॉनसून) सत्र

मंगलवार, दिनांक-26 जुलाई, 2016 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाहन से 2.07 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1. विविध चर्चायें:-

- i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही श्री प्रदीप यादव एवं अन्य माननीय सदस्य, झारखण्ड सरकार द्वारा घोषित स्थानीय नीति के विरुद्ध अपने द्वारा दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की माँग करने लगे,
- ii- माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी द्वारा राज्य में CNT/SPT ACT में किये जा रहे संशोधन से सम्बन्धित विषय पर दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की माँग की गयी। इन्होंने आसन से आग्रह किया कि CNT/SPT ACT में किये जा रहे बदलाव से झारखण्ड के बीर सपूत्रों, जिन्होंने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी है, उनकी आत्मा को आहत पहुँची है क्योंकि सदन में बिना चर्चा कराये माननीय राष्ट्रपति को सरकार द्वारा अध्यादेश भेज दिया जाना नियमानुकूल नहीं है।

2. कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें:-

झारखण्ड राज्य में घोषित स्थानीय नीति के विरुद्ध माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं अन्य से प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना तथा माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी द्वारा राज्य में पूर्व से लागू CNT/SPT ACT में संशोधन से सम्बन्धित दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना के नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा इन्हें अमान्य कर दिया गया ततुपरांत सदन को संसूचित किया गया कि अनुपूरक व्यय-विवरणी पर दिनांक-26 एवं 27 जुलाई, 2016 को होनेवाली चर्चाओं के दौरान उक्त विषयों को भी समाहित कर लिया जायेगा।

3. विविध चर्चायें(क्रमांक-1 से जारी):-

- i- माननीय सदस्य, श्री राज कुमार यादव ने पुलिस कस्टडी में रूपेश स्वांसी की हुई मौत तथा कोडरमा जिलान्तरित डोम्चांच निवासी नाबालिग शहबाज अंसारी के दिनांक-13 जुलाई, 2016 को तिलैया थाना प्रभारी द्वारा उठाये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में पूर्व से लागू CNT/SPT ACT में संशोधन सम्बन्धी माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी द्वारा लाये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव को अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय बताया। उन्होंने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह किया कि-

(2)

(8)

सदन आहूत होने की तिथि घोषित होने के उपरांत राष्ट्रपति महोदय को अध्यादेश भेजना नियम विरुद्ध है। अतएव उक्त आलोक में इनके द्वारा इसपर सर्वप्रथम सदन में बहस कराये जाने की माँग की गयी। इन्होंने सरकार द्वारा अवैध तरीके से ली गयी जमीनों को बापस कराये जाने की माँग भी की जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी एवं अन्य विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा भी किया गया।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि कार्य-मंत्रणा समिति की गत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा के लिए आसन सदैव तत्पर है, परन्तु विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा “सदन नहीं चलने देंगे” कहे जाने पर उहोंने नाराजगी प्रकट करते हुए इसे विपक्ष की हठधर्मिता बतायी।

इस क्रम में माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय ने भी आसन द्वारा व्यक्त की गयी भावना का समर्थन करते हुए आश्वस्त किया कि अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से रखे गये विषयों पर भी चर्चा होगी।

माननीय सदस्य, श्री जानकी प्रसाद यादव ने आसन से आग्रह किया कि माननीय विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन को बाधित करने से समस्या का निदान नहीं हो सकता है।

(भारी शोरगुल)

इस क्रम में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा तथा भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के कतिपय माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन की बैल में आ गये जिससे अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.23 बजे पूर्वां से लेकर 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

इस अवसर पर सदन के बाहर कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा धरना पर बैठे जाने सम्बन्धी सूचना माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन ने आसन को दी। इसके उपरांत आसन द्वारा श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय मुख्य सचेतक (सत्तारूढ़ दल) एवं विपक्ष के माननीय मुख्य सचेतक, श्री नलिन सोरेन को धरने पर बैठे माननीय सदस्यों को सम्मान सदन में लाये जाने हेतु निदेश दिया गया।

(इस अवसर पर माननीय मुख्य सचेतक (सत्तारूढ़ दल) एवं विपक्ष के माननीय मुख्य सचेतक, श्री नलिन सोरेन को धरने पर बैठे माननीय सदस्यों को सम्मान सदन में लाये जाने हेतु सदन से बाहर गये।)

इस क्रम में पूर्व से चले आ रहे गतिरोध सम्बन्धी विषय पर सदन में चर्चा की माँग माननीय नेता, प्रतिपक्ष द्वारा पुनः की जाने लगी। इसके उपरांत माननीय सदस्य, श्री राम कुमार पाहन, श्री राधा कृष्ण किशोर एवं माननीय मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सरकार के पक्ष को सदन में रखा गया। विरोधस्वरूप झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के कतिपय माननीय सदस्य हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए सदन की बैल में आ गये। इसी क्रम में माननीय सदस्य, श्रीमती निर्मला देवी भी बड़कागाँव थाना में दर्ज कतिपय कांडों की जाँच की माँग को लेकर पोस्टर के साथ बैल में आ गयी।

4. वित्तीय कार्य:-

श्री सरयू राय, माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य द्वारा प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित “मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी

(3)

विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग प्रभाग)" से सम्बन्धित माँग पेश की गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

5. सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना:-

श्री सरयू राय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 216(1) के तहत “दिनांक- 11 मार्च, 2015 को सदन में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रौची एवं क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा पलामू में पाँच बर्षों से अधिक समय से कार्यरत ईनिक वेतनभोगी कर्मियों के समायोजन एवं सेवा नियमितिकरण” सम्बन्धी गठित विशेष समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थिति किया गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

अन्तराल के पूर्व “मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निराशानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग प्रभाग)” से सम्बन्धित पेश की गयी याँग पर दिनांक- 26 एवं 27 जुलाई को निर्धारित बहस के निमित्त सभी राजनीतिक दलों को आवंटित समय की घोषणा आमने टांग की गई।

इस क्रम में झारखण्ड मुकित मोर्चा के अधिकांश माननीय सदस्य पूर्व की भाँति अपने-अपने हाथों में पोस्टर एवं सी.डी. लिये हुए सदन की बेल में आकर नारेबाजी करने लगे। अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक- 27.07.2016 के 11.00 बजे पूर्वांतर के लिए स्थगित की गयी।

राँची

दिनांक- 26, जुलाई, 2016 ई०।

बिन्दु कमार सिंह

प्रभारी सचिव

ज्ञारखण्ड विधान सभा।